न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 13 / 2020

1 सुरेश कुमार आयु 53 साल पुत्र स्व. ताराचन्द
2 राजकमार उर्फ रामकुमार आयु 49 साल पुत्र स्व. ताराचन्द जाति जांगिड़ निवासी पुरानी बस्ती तन चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
3 अशोक कुमार उर्फ शेरसिंह आयु करीब 43 साल पुत्र स्व. ताराचन्द जाति जांगिड़ निवासी पुरानी बस्ती तन चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं "भूतपूर्व अव्यस्क अपने वलि अदालती श्री नरेश कुमार एडवोकेट झुन्झुनूं द्वारा किन्तु अब व्यस्क है।"
4 श्रीमती कमला आयु 73 साल पत्नी स्व. ताराचन्द जाति जांगिड़ निवासी पुरानी बस्ती तन चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
5 श्रीमती कृष्णा आयु 51 साल पुत्र स्व. ताराचन्द पत्नी मनोज कुमार जाति जांगिड़ निवासी ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
6 श्रीमती दर्शना आयु 45 साल पुत्री स्व. ताराचन्द पत्नी विक्रम जाति जांगिड़ निवासी घुमनसर कला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
7 विनोद कुमार उर्फ अश्विनीकुमार आयु करीब 42 साल पुत्र स्व. बाबुलाल जाति जांगिड़ निवासी पुरानी बस्ती तन चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं "भूतपूर्व अव्यस्क अपने वलि अदालती श्री नरेश कुमार एडवोकेट झुन्झुनूं द्वारा किन्तु अब व्यस्क है।"
8 महावीर प्रसाद आयु करीब 64 साल पुत्र स्व. झुंथाराम
9 सुमेर सिंह आयु करीब 61 साल पत्र स्व. झुंथाराम
10 रणवीर सिंह उर्फ लीलाधर आयु 57 साल पुत्र स्व. झुंथाराम जाति जांगिड़ निवासी पुरानी बस्ती तन चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
11 श्रीमती मणीदेवी आयु 68 साल पुत्री स्व. झुंथाराम पत्नी होशियार सिंह जाति जांगिड़ निवासी हुक्मा की ढाणी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
12 शीशराम आयु 65 साल
13 महेन्द्र सिंह आयु 60 साल पुत्रगण स्व. रामजीलाल जाति जाट निवासी पुरानी बस्ती तन चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
14 'मृतक' ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामजीलाल जाति जाट निवासी पुरानी बस्ती तन चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं नोट– दौराने अपील दिनांक 10.01.2026 को देहान्त हो गया।'
14/1 श्रीमती सिलोचना आयु 50 साल पत्नी
14/2 संजय आयु 25 साल पुत्र

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

14/3 अजय आयु 22 साल पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पुरानी बस्ती तन चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 सुलतान आयु करीब 68 साल पुत्र स्व. सोनाराम
2 रामनिवास आयु करीब 65 साल पुत्र स्व. सोनाराम जाति जागिड़ निवासी पुरानी बस्ती तन चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
3 'मृतक' घनश्याम पुत्र हरचन्द जाति महाजन निवासी चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं। नोट– दौराने दावा देहान्त हो गया।
3/1 श्रीमती घोगी आयु 95 साल पत्नी स्व. घनश्याम
3/2 रामरतन आयु 72 साल पुत्र स्व. घनश्याम
3/3 शुभकरण आयु 68 साल पुत्र स्व. घनश्याम
3/4 सुरेन्द्र आयु 65 साल पुत्र स्व. घनश्याम
3/5 श्रीमती सन्तरा पुत्री
3/6 श्रीमती कान्ता पुत्री
3/7 श्रीमती रामकला
3/8 श्रीमती शशिकला पुत्रीगण स्व. घनश्याम जाति महाजन निवासी चनना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
4 'मृतक' श्रीमती परमेश्वरी पुत्री स्व. रामजीलाल पत्नी मातुराम जाति जाट निवासी जोधा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं। नोट दौराने अपील दिनांक 10.10.2023 को देहान्त हो गया।
4/1 मनोज कुमार आयु करीब 35 वर्ष
4/2 विजय सिंह आयु करीब 33 साल पुत्रगण स्व. श्रीमती परमेश्वरी व स्व. मातुराम जाति जाट निवासी जोधा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
4/3 श्रीमती विनिता चौधरी आयु करीब 30 साल पुत्री स्व. श्रीमती परमेश्वरी व स्व. मातुराम पत्नी संजय कुमार जाति जाट निवासी चिड़ासन हाल निवासी चौधरी कॉलोनी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

5 श्रीमती अणची पुत्री स्व. रामजीलाल पत्नी सुमेर जाति जाट निवासी जोधा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
6 श्रीमती घोघड़ी पुत्री स्व. रामजीलाल पत्नी चन्द्रभान जाति जाट निवासी ढाढोत कला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
7 श्रीमती निम्मो पुत्री स्व. रामजीलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ढाढोत कला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
8 श्रीमती सोनी देवी पत्नी स्व. झण्डुराम
9 रोहिताश कुमार पुत्र स्व. झण्डुराम
10 धर्मवीर पुत्र स्व. झण्डुराम जाति जाट निवासी पुरान बस्ती तन चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
11 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्त. अधि. 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक
16.01.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा दावा
उनवानी सुलतान आदि बनाम सुरेश आदि दावा इस्तकरार,
बंटवारा, हुक्म इम्तनाई दावा संख्या 302/2011

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गोरधन सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सुशील, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 19/5/26

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 302/2011 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट 1 व 2 ने एक वाद इस्तकरार बंटवारा व हुक्म इम्तनाई बाबत भूमि खसरा नम्बर 898, 899, 1195/1011 वाके ग्राम चनाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण नं. 3 व 7/अपीलान्ट नं. 3 व 7 को नाबालिग होना मानकर इनका वलि अदालती इनकी ओर से पैरवी के लिये श्री नरेश कुमार ढाका अभिभाषक झुन्झुनूं को नियुक्त किया था। क्योंकि दावे की पत्रावली उस समय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं में पेश होने पर विचाराधीन थी। दिनांक 29.08.2002 के आदेश से पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में स्थानान्तरित की गई। इसके बद उक्त न्यायालय में दावे की पत्रावली चली व इस कार्यवाही में प्रतिवादीगण नं. 3 व 7/अपीलान्टस नं. 3 व 7 के उक्त वलि अदालती ने पैरवी नहीं की। इस पर विचारण न्यायालय ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि वली अदालती पैरवी नही कर रहे है व न पैरवी के लिये पेशी पर आ रहे है। इस कारण नाबालिग की पैरवी हेतु अन्य को वली अदालती नियुक्त किया जावे। इस प्रार्थना पत्र को विचाराधीन रखा व अपीलान्टस नं. 3 व 7 के वलि अदालती मुकदमें की कार्यवाही में चिड़ावा में उपस्थित नहीं हुये। विचारण न्यायालय ने कभी भी वलि अदालती का पैरवी का नोटिस नहीं दिया और न ही अपीलान्टस नं. 3 से 7 के बालिग होने पर उनके द्वारा पैरवी किये जाने का नोटिस दिया गया। इसके अलावा उक्त अनुसार दावे की मिसल दो बार दर्ज हुई व प्रतिवादीगण को तलब करने का आदेश पारित हुआ लेकिन अपीलान्टस नं. 3 व 7/प्रतिवादीगण नं. 3 व 7 को या वलि अदालती को दावे की कार्यवाही के लिय नोटिस जारी नहीं किया

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

गया। इस प्रकार अपीलान्ट नं. 3 व 7 की अनुपस्थिति में बिना विधिसम्मत कार्यवाही के बिना पैरवी का मौका दिये ही निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.01.2020 पारित की गई है। प्रतिवादी नं. 12 घनश्याम का देहान्त सन 2008 में हो गया। प्रतिवादी नं. 12 घनश्याम के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही आदेश पारित हुआ था व उसमें दावे में उपस्थित होकर अपने जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की। इस कारण रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2/वादीगण को विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अ. आदेश 22 नियम 4:4: सि.प्र.स. के तहत पेश कर प्रतिवादी नं. 12 के विधिक प्रतिनिधिगण को पक्षकार न बनाने की इजाजत लेनी चाहिये थी। जो नहीं ली गयी व दावा मरे हुये व्यक्ति के खिलाफ चला। विधिक प्रतिनिधिगण को पक्षकार न बनाने की छुट न लेने के कारण दावा का स्वतः ही उपशमन मृत्यु के 90 दिन के बाद हो गया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2/वादीगण ने प्रतिवादी नं. 12 घनश्याम को 1/3 हिस्से का सह खातेदार होना मानकर उसके खिलाफ भी मुख्य अनुतोष सह खातेदारी का चाहा गया। दौराने दावा उपशमन अपास्त करवाने के लिये वादीगण/रेस्पोडेन्टस नं. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। प्रतिवादी नं. 12 घनश्याम का देहान्त सन 2008 में हैदराबाद में हुआ था। इस कारण देहान्त होने के बाद एक तरफा कार्यवाही आदेश अपास्त करवाने व पैरवी का अधिकार विधिक प्रतिनिधिगण को नहीं मिला। इस प्रकार दावे का उपशमन हो जाने से निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.01.2020 विधिक विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है व दावा खारिज होने योग्य है। प्राथमिक डिक्री के आधार पर घोषणा व बंटवारे के लिये प्राथमिक डिक्री जारी करने के लिये आवश्यक है कि विवादित कृषि भूमि में किस पक्षकार का कितना कितना हिस्सा है व किस पक्षकार के मध्य किस आधार पर विभाजन होता है। इस बाबत न तो विवाद बिन्दु कायम किया गया और नहीं निर्णय व प्राथमिक डिक्री में यह दर्ज किया गया कि विवादित जमीन में शेष 1/3 हिस्सा किसका है व शेष 1/3 हिस्सा किसका है व किसके मध्य बंटवारा होना है। इस प्रकार निर्णय व प्राथमिक

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

डिक्री दिनांक 16.01.2020 खारिज होने योग्य है। भू–प्रबन्ध विभाग को कृषि भूमि के रकबे को घटाने व बढ़झने का क्षेत्राधिकार नहीं होता व कृषि भूमि के रकबे को अधिक रकबे में दर्ज करने का क्षेत्राकिधार भी नहीं होता है। वादीगण/रेस्पोडे़न्टस नं. 1 व 2 ने दावे में विवादित जमीन का पहले खसरा नम्बर 224 रकबा 3 बीघा 14 बिश्वा वाके ग्राम चनाना होना दर्ज किया। भू–प्रबन्ध विभाग को इस 3 बीघा 14 बिश्वा का ही है. में रकबा दर्ज करना चाहिये था। विधि सम्मत प्रणाली के अनुसार 3 बीघा 14 बिश्वा का है. में रकबा 0.93 है. होता है। जबकि खसरा नम्बर 898 खसरा नम्बर 899 व ख.नं. 1195/1011 का कुल रकबा 1.14 है. दर्ज किया। इस प्रकार 0.21 है. जमीन का रकबा किस आधार पर समायोजित किया गया। यह स्पष्ट नहीं किया गया। इस 0.21 है. जमीन पर रेस्पोडेन्टस नं. 1 व 2/वादीगण उनके कथन के अनुसार ही खातेदारी हक क्लेम नहीं कर सकते। अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के निर्णय दिनांक 16.01.2020 व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.01.2020 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2/वादीगण का दावा मय खर्चा खारिज किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2023(1) पेज 375, आरआरटी 2024(1) पेज 437, आरआरटी 2024(1) पेज 97, आरएलडब्ल्यू 1996(1) राज. पेज 323, आरएलडब्ल्यू 1998 (1) राज. पेज 474, डीएनजे 2001 राज. पेज 421, आरबीजे 2007 पेज 386, आरआरटी 2012(2) पेज 860, आरआरटी 2019(1) पेज 564, आरआरटी 2011(2) पेज 1198 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट 1 व 2 ने एक वाद इस्तकरार बंटवारा व हुक्म इम्तनाई बाबत भूमि खसरा नम्बर 898, 899, 1195/1011 वाके ग्राम चनाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। प्रतिवादी ने जो नाम अपने जवाब दावा में वर्णित किये है और जिनका वर्णन तनकीयात में है को साबित करने के लिए राजस्व रिकार्ड को अभिलिखित नहीं किया और राजस्व रिकार्ड का

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अवलोकन करने के पश्चात यह तथ्य सामने आया है कि उक्त पक्षकारान का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं है। इस कारण से वादी ने उक्त पक्षकारान को अपने दावे में पक्षकार नहीं बनाया है। आवश्यक पक्षकार का भौतिक कब्जा भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित करना आवश्यक होता है किन्तु प्रतिवादी ने ना तो अपनी मौखित साक्ष्य गवाह डी डब्लयू 1 सुमेर व डी डब्ल्यू 2 महावीर प्रसाद ने अपनी साक्ष्य के माध्यम से उक्त व्यक्तियों का विवादग्रस्त कृषि भूमि पर भौतिक कब्जा साबित नहीं किया है और ना ही रिकार्ड पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित होता हो की तनकी नम्बर 01 व तनकी नं. 08 में वर्णित व्यक्ति वर्तमान दावे के आवश्यक पक्षकार हो और उक्त व्यक्तियों को वर्तमान में दावे में पक्षकार नही बनाने से दावे के निर्णय पर विपरित प्रभाव पड़ता हो। इस प्रकार से प्रतिवादी तनकी नम्बर 01 व तनकी नम्बर 08 को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहे है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा के माध्यम से और अपने साक्ष्य के माध्यम से यह तो कथन किया है कि बंटवारा संवत 2000 में हो गया है। इस कारण वादीगण विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा नहीं करवा सकते किन्तु उक्त तनकी को साबित करने के लिए प्रतिवादी ने ना तो ऐसा कोइ साक्ष्य पेश किया जो यह साबित करता हो कि उस साक्षी के सामने संवत 2000 में विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा हुआ हो या उसने विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा संवत 2000 में किया हो। प्रतिवादी के द्वारा मात्र मौखिक कथन करने से यह साबित नहीं हो जाता कि विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा संवत 2000 को हुआ और उक्त बंटवारा सीमा एवं माप के अनुसार हुआ हो। प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा संवत 2000 में हुआ हो। इस कारण से विवादग्रस्त भूमि का पुनः वर्तमान दावे के माध्यम के बंटवारा नहीं करवाया जा सकता हो। मात्र कथन करने से ही वह कथन साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं माना जा सकता। वादी ने अपने वाद पत्र में और वाद पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से यह साबित किया है कि वादीगण आराजी मुन्दर्जा धारा 1 के 1/3 हक व हिस्से के खातेदार काश्तकार है और खातेदार काश्तकार होने के कारण से वे उक्त अपने हक व हिस्से का बंटवारा करवाकर अपने हक व हिस्से को अलग करना चाहते है। उक्त तनकी के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी ने किसी भी प्रकार का

अनिल कुमार II RAS
अधिकारी एवं
भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (झुन्झुनूं)

कोई ऐसा साक्ष्य न्यायायल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार नही हो। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से वादीगण 1/3 हक व हिस्से के खातेदार काश्तकार होना साबित किया है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में यह कथन किया है कि सोहनलाल व बीरबल की बेवा ने संवत 2004 में एक बिघा पुख्ता जमीन लादूराम पुत्र गीदाराम व रामजीलाल, झन्डूराम पुत्र दुलाराम, भागुराम पुत्र कुरड़ाराम जाट निवासीगण चनाना को बेचान किया हो लेकिन इसके संबंध में प्रतिवादीगण ने किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य या पंजीकृत विक्रय पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष ना तो प्रस्तुत किया ना ही पंजीबद्ध करवाया परन्तु राजस्व रिकार्ड प्रदर्श पी–3 के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि रामजीलाल, झन्डूराम पिता लादूराम जाट हिस्सा 1 बिघा 1 बिश्वा के नाम से दर्ज है। प्रतिवादी ने राजस्व रिकार्ड और भौतिक कब्जे के विश्लेषण हेतु कमीश्नर भी जारी नहीं करवाया है इसलिये प्रतिवादी के केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि राजस्व रिकार्ड में विवादग्रस्त कृषि भूमि का रकबा मौके के अनुसार दर्ज नहीं है। वादी को अपने विवादग्रस्त कृषि भूमि के अपने 1/3 हक व हिस्से का बंटवारा करवाने का पूर्ण अधिकार है और उक्त भूमि के रथार्थ प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट 1 व 2 ने एक वाद इस्तकरार बंटवारा व हुक्म इम्तनाई बाबत भूमि खसरा नम्बर 898, 899, 1195/1011 वाके ग्राम चनाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण नं. 3 व 7/अपीलान्ट नं. 3 व 7 को नाबालिग होना मानकर इनका वलि अदालती इनकी ओर से पैरवी के लिये श्री नरेश कुमार ढाका अभिभाषक झुन्झुनूं को

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

नियुक्त किया था। क्योंकि दावे की पत्रावली उस समय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं में पेश होने पर विचाराधीन थी। दिनांक 29.08.2002 के आदेश से पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में स्थानान्तरित की गई। इसके बाद उक्त न्यायालय में दावे की पत्रावली चली व इस कार्यवाही में प्रतिवादीगण नं. 3 व 7/अपीलान्टस नं. 3 व 7 के उक्त वलि अदालती ने पैरवी नहीं की।

इस पर विचारण न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि वली अदालती पैरवी नही कर रहे है व न पैरवी के लिये पेशी पर आ रहे है। इस कारण नाबालिग की पैरवी हेतु अन्य को वली अदालती नियुक्त किया जावे। इस प्रार्थना पत्र को विचाराधीन रखा व अपीलान्टस नं. 3 व 7 के वलि अदालती मुकदमें की कार्यवाही में चिड़ावा में उपस्थित नहीं हुये। विचारण न्यायालय ने कभी भी वलि अदालती का पैरवी का नोटिस नहीं दिया और न ही अपीलान्टस नं. 3 से 7 के बालिग होने पर उनके द्वारा पैरवी किये जाने का नोटिस दिया गया।

इसके अलावा उक्त अनुसार दावे की मिसल दो बार दर्ज हुई व प्रतिवादीगण को तलब करने का आदेश पारित हुआ लेकिन अपीलान्टस नं. 3 व 7/प्रतिवादीगण नं. 3 व 7 को या वलि अदालती को दावे की कार्यवाही के लिय नोटिस जारी नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट नं. 3 व 7 की अनुपस्थिति में बिना विधिसम्मत कार्यवाही के बिना पैरवी का मौका दिये ही निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.01.2020 पारित की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है।

प्रतिवादी नं. 12 घनश्याम का देहान्त सन 2008 में हो गया। प्रतिवादी नं. 12 घनश्याम के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही आदेश पारित हुआ था व उसमें दावे में उपस्थित होकर अपने जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की। इस कारण रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2/वादीगण को विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अ. आदेश 22 नियम 4(4) सि.प्र.स. के तहत पेश कर प्रतिवादी नं. 12 के विधिक प्रतिनिधिगण को पक्षकार न बनाने की इजाजत लेनी चाहिये थी, जो नहीं ली गयी व दावा मरे हुये व्यक्ति के खिलाफ चला। विधिक प्रतिनिधिगण को पक्षकार न बनाने की छुट न लेने के कारण दावा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

का स्वतः ही उपशमन मृत्यु के 90 दिन के बाद हो गया। विचारण न्यायालय ने इस विधिक स्थिति पर कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2/वादीगण ने प्रतिवादी नं. 12 घनश्याम को 1/3 हिस्से का संह खातेदार होना मानकर उसके खिलाफ भी मुख्य अनुतोष सह खातेदारी का चाहा गया। दौराने दावा उपशमन अपास्त करवाने के लिये वादीगण/रेस्पोडेन्टस नं. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। प्रतिवादी नं. 12 घनश्याम का देहान्त सन 2008 में हैदराबाद में हुआ था। इस कारण देहान्त होने के बाद एक तरफा कार्यवाही आदेश अपास्त करवाने व पैरवी का अधिकार विधिक प्रतिनिधिगण को नहीं मिला। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने इस विधिक स्थिति पर भी कोई विवेचन नहीं किया है।

प्राथमिक डिक्री के आधार पर घोषणा व बंटवारे के लिये प्राथमिक डिक्री जारी करने के लिये आवश्यक है कि विवादित कृषि भूमि में किस पक्षकार का कितना कितना हिस्सा है व किस पक्षकार के मध्य किस आधार पर विभाजन होता है। इस बाबत न तो विवाद बिन्दु कायम किया गया और नहीं निर्णय व प्राथमिक डिक्री में यह दर्ज किया गया कि विवादित जमीन में शेष 1/3 हिस्सा किसका है व शेष 1/3 हिस्सा किसका है व किसके मध्य बंटवारा होना है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

विचारण न्यायालय में तनकीयात कायम की गई है परन्तु तनकीयात को साबित करने का दायित्व विधि सम्मत रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में तनकीयात का विस्तृत विवेचन भी नहीं किया है। पीडब्ल्यू सुलतान प्रति परिक्षण में यह स्वीकार करता है कि पुराने खाते में 3 बीघा 14 बिश्वा की व वर्तमान खाते में 1.14 है. है। यह कथन करता है कि वर्तमान खाते में 0.21 है. जमीन किसकी चढी हुई है, यह उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार वादी सुलतान के बयान के अनुसार 0.21 है. जमीन खातेदारी में गलत दर्ज हुई है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों व साक्ष्यों का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

कुमार II RAS
प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पीडब्ल्यू सुलतान अपने मुख्य परीक्षण में यह स्वीकार करता है कि विवादित जमीन में रामजीलाल, झण्डुराम, सरदाराराम, देवकरण, रामदेव ने आवासीय मकान बना रखे है यह गवाह यह भी मानता है कि झाबरराम, म्हालाराम, हरदेवाराम, मोहनसिंह, परसाराम, मनरूप, महीपाल, बनवारी, नेकीराम, केशरराम,. दोदराम, रामस्वरूप, जयराम, डेडाराम, नानड़राम निवासी चनाना का कब्जा है और इनको दावे में पक्षकार नहीं बनाया। यह गवाह यह भी कथन करता है कि जमीन में पक्षकार नहीं बनाया। यह गवाह यह भी कथन करता है कि जमीन में 20–25 आदमियों का खातेदारों के अलावा व्यक्तियों का कब्जा है। बाबुलाल की पत्नी श्रीमती सुमित्रा होना व बुद्धराम की पत्नी गोमती होना भी माना गया है। प्रदर्श डी. 8 से प्रदर्श डी. 12 खसरा गिरदावरियों से उक्त तथ्य को समर्थन मिलता है पीडब्ल्यू सुलतान के बयान के मुताबिक माईधन, कालु व पीथाराम ने जमीन को अलग अलग काश्त किया व बंटवारा होना मानता है। यह गवाह यह भी कथन करता है कि झुंथाराम, हनुमानाराम व मामचन्द के खसरा नम्बर 224 में से उत्तर की तरफ की जमीन बंटवारे में आयी थी व काश्त की। बंटवारे के बाद में इनकी जमीन पर कालु या इनके वारिसान का कभी भी कब्जा नहीं रहा। यह गवाह यह भी स्वीकार करता है कि विवादित जमीन में रामजीलाल, झण्डुराम, सरदाराराम, देवकरण ने आवासीय मकान बना रखे है। यह गवाह उक्त वर्णित व्यक्तियों का कब्जा होना भी घनश्याम की जमीन में मानता है। यह भी मानता है कि इन कब्जाधारियों को दावे में पार्टी नहीं बनाया। यह गवाह विवादित जमीन के बंटवारा होने के कथन को स्वीकार करता है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नही कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों की सम्यक तामील के उपरांत मृत पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर, जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई तनकीवार विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2026 को उपस्थिति देवें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 19/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर